

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) रामपुर।

पत्रांक-

C-1341

/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2023-24

दिनांक- 13 मार्च, 2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शारानादेश संख्या-19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10 टी.सी. दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रामपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाडी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर परियोजनावार विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आंगनवाडी कार्यकर्त्री के रिक्त पद		कुल रिक्त पद
		ग्रामीण	शहरी	
1	स्वार ग्रामीण	93	07	100
2	शाहाबाद	42	01	43
3	बिलासपुर	43	—	43
4	सैदनगर	38	—	38
5	चमरवा	43	—	43
6	मिलक	26	—	26
7	रामपुर शहर	—	42	42
8	स्वार शहर	—	10	10
	कुल योग:-	285	60	345

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

1. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. आंगनवाडी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
3. आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड/ग्राम सभा का निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य होगा।
4. आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयवधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 03 अप्रैल, 2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
रामपुर।

वरीयता:-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की अन्य महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता) गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला।
- उपरोक्तानुसार न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा।


आरक्षण:-

- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

नोट:-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकास द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होंगे।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(जितेन्द्र कुमार जायसवाल)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
रामपुर।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) रामपुर

दिनांक- 13 मार्च, 2024

पत्रांक-C-1341 / जि0का0अधि0/विजमि / 2023-24

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शामनादेश संख्या-19/2023/3975/ 58-1-2022-2/1(22)10 टी. सी. दिनांक 21 मार्च, 2023 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रामपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में मंचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पद		कुल रिक्त पद
		ग्रामीण	शहरी	
				100
1	स्वार ग्रामीण	93	07	43
2	शाहाबाद	42	01	43
3	बिलासपुर	43	-	38
4	सैदनगर	38	-	43
5	चमरवा	43	-	26
6	मिलक	26	-	42
7	रामपुर शहर	-	42	10
8	स्वार शहर	-	10	345
	कुल योग	285	60	

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा / वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-

- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड / ग्राम सभा का निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयवाधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञप्ति पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 03 अप्रैल, 2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

वरीयता :-

- उसी ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधक तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की अन्य महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही (विधवा/तलाकशुदा / परित्यक्ता) गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला।
- उपरोक्तानुसार न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा।

आरक्षण :-

- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

नोट :-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/ सम्बन्धित नगर विकास द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होंगे।
- तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधक आदेश मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(जितेन्द्र कुमार जायसवाल)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
रामपुर।

पांच लोगों का शक्तिमंग में किया चालान

रीफनी, अमृत विहार : पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में पांच लोगों का शक्ति भंग करने की आपत्तिका के चलते चालान किया है। कुआर को गांव चंदपुर खुद निवासी अर्जुन, किनोड को एकड़ने के बाद उनका शक्ति भंग में चलान कर दिया। शाहकद के बंदे की महेरा निवासी बाबू दुगरे पक्ष के चंदपुर खुद गांव निवासी अमरजीत का भी चालान किया गया। पुलिस ने चंदपुर के खाना अजीतपुर के फैजगंज केदला गांव निवासी राजय को रामपुर गांव से गिरफ्तार किया।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) रामपुर

दिनांक 13 मार्च, 2024

पत्रांक- 1341/जि०का०अधि०/विज०पि/2023-24

विज्ञापित

संवर्धनकारण को सुनिश्चित किया जाता है कि शासनादेश संख्या- 19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10 दिनांक 21 मार्च, 2023 में निर्णित व्यवस्थानुसार जनपद रामपुर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संवर्धित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्तों के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों पर परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिक्त पद		कुल रिक्त पद
		ग्रामीण	शहरी	
1.	स्वार ग्रामीण	93	07	100
2.	शाहानाद	42	01	43
3.	बिन्नागपुर	43	-	43
4.	सैदनगर	38	-	38
5.	चमरवा	43	-	43
6.	मिलक	26	-	26
7.	रामपुर शहर	-	42	42
8.	स्वार शहर	-	10	10
	कुल योग:-	285	60	345

उपरोक्त पदों का ग्राम सभा/ वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा की गई है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
- आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड / ग्राम सभा का निवासी एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित न्याय पंचायत की निवासी होना अनिवार्य होगा।
- आवेदिका की आयु निर्धारित कट आफ तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य / स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 03 अप्रैल, 2024 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

वरीयता-

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधक तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला।
- विधवा/ तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार की अन्य महिलाएं।
- उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में ही (विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता) गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला।
- उपरोक्तानुसार न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलायें।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जाएगा।

आरक्षण:-

- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

नोट:-

- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी / सम्बन्धित नगर निकास द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होंगे।
- तलाकशुदा / परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधक आदेश मान्य होंगे।
- आय के सम्बन्ध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से 06 माह पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(जितेन्द्र कुमार जायसवाल)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
रामपुर